

तारीख हुक्म	
19-11-20	पत्रावली पेश हुई, उमयपक्ष उपस्थित, उमयपक्ष वदस हेतु अवसर चाहे ही वदस हेतु अंतिम अवसर प्रियाजाता व वास्ते पत्रावली उमयपक्षो ही वदस हेतु नियत दिनांक 26-11-20 को पेश हो।
26-11-20	उमयपक्ष उपस्थित पत्रावली अधिकारी द्वारा कार्य में वदस है। पत्रावली दिनांक... 26-11-20... को पेश हो। रिटर
3-12-20	उमयपक्ष उपस्थित पत्रावली अधिकारी द्वारा कार्य में वदस है। पत्रावली दिनांक... 17-12-20... को पेश हो। रिटर
17-12-20	पत्रावली पेश हुई, अधिसूचना द्वारा न्यायिक कार्य रोक दिया जा रहा है। पत्रावली दिनांक... 24-12-20... को पेश हो।
24-12-20	पत्रावली पेश हुई, अधिसूचना द्वारा न्यायिक कार्य रोक दिया जा रहा है। पत्रावली दिनांक... 31-12-20... को पेश हो।
7-1-21	पत्रावली पेश हुई, उमयपक्ष उपस्थित उमयपक्षो व वदस करनी चाही, उमयपक्षो ही वदस सुनी गयी फकील प्राणीगण व वदस के दौरान अपनी स्वतंत्र आराजी नं. 34 क्रम में खाने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी की आराजी नं. 22/14 पूर्वी उत्तरी दिशा के मेंड के सहारे-सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की रिस्तदुआ की, जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वारीय किये जाने की रिस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा फकील प्राणीगण व फकील अप्रार्थी व वदस पर मनन किया, तथा तहसीलदार माउल की मौका प्रिक्ट

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

पर अध्ययन व मनन किया, प्राणीगण का धा-पत्र अन्तर्गत द्वारा 251-A रा का अधिनिपम स्वीकृत किये जाने योग्य हो आतः

∴ आदेश ∴

प्राणीगण द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र अन्तर्गत द्वारा 251-A रा का अधिनिपम स्वीकार किया आकर प्राणीगण श्री आराजी गुप्त मानकपुर्य पयार हल्का दाता कला तहसील माण्डल में स्थित आराजी को 3.4 की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व बिक्री में दर्ज नहीं हो एंप मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त भूमि में आने जाने हेतु अप्राची की आराजी से 22.14 मै से छठी व उत्तरी दिशा के मैड के सहारे-सहारे 16 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। 16 फीट चौड़ा रास्ता के काम में आने वाली भूमि की D.L.C दर की डकल राशि नकद या D.D प्राणीगण से प्राप्त कर अप्राची को भुगतान करे। अप्राची की भूमि रास्ते में आने वाली भूमि को राजस्व बिक्री में दर्ज करते हुए नक्शे में तस्वीर छिपा जावे। तस्वीर माण्डल की निर्माण की पालना निजवाते हुए लिखा जावे। निपमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसील माण्डल द्वारा निर्माण की पालना की जावे। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर नक्द से कर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला नीलवाड़ा